न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 62/2023

प्रार्थी
बोराराम वगैरह

बनाम

अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार झवंर
व अन्य

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक 08.05.2024**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम करणीनगर के खसरा संख्या 39 रकबा 0.4047 हैक्टेयर खसरा नम्बर 40 रकबा 2.2905 हैक्टर तहसील झंवर की कृषि भूमि में प्रवेश नही करे तथा प्रार्थीगण को बेदखल व उपरोक्त भूमि में किसी भाग पर सडक निर्माण नही करे तथा प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें का पेश किया। उक्त विवादग्रस्त भूमि में जो प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी तथा तरमीम सुदा कृषि भूमि है जिस पर वादी गण हैसियत खातेदार काबिज हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गयें। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड द्वितीय द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में जो प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी तथा तरमीमसुदा कृषि भूमि है जिस पर वादी गण हैसियत खातेदार काबिज हैं। सीधी रोड निकालने के लिए प्रार्थीगण के खेत में से भूमि कम नही करें तथा बाद पैमाईश उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया तब–तक अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा–काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें। अप्रार्थीगण ने अपने कथन में जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण को कोई वाद करने का अधिकार नही है क्योंकि उनके किसी भी दीवानी एवं राजस्व अधिकारों का कोई हनन नही हो रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् ऐसे रास्तों को चौडा करने के अधिकार हैं। मात्र राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को अधिकार उपलब्ध नही होता है। स्थाई रूप से चल रहे रास्ते में गांव वालों का सार्वजनिक सुखाधिकार प्राप्त हो चुका हैं। इन परिस्थितियों उपरोक्त रास्ते को न्यायालय द्वारा बंद नही किया जा सकता है। पूर्व से जो रास्ता चलयमान है। उसी पर सरकारी आदेश अनुसार मेन्टीनस कार्य किया जा रहा हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के कारण चलने योग्य नही होने से निरस्त किया जावें एवं विशेष हर्जे खर्चे के रूप में 20,000/– रूपये दिलाये जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम करणीनगर के खसरा संख्या 39 रकबा 0.4047 हैक्टेयर खसरा नम्बर 40 रकबा 2.2905 हैक्टर तहसील झंवर जो कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। तथा राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि के पास से सरकारी रास्ता इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण को कोई वाद करने का अधिकार नही है क्योंकि उनके किसी भी दीवानी एवं राजस्व अधिकारों का कोई हनन नही हो रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् ऐसे रास्तों को चौडा करने के अधिकार हैं। मात्र राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को अधिकार उपलब्ध नही होता है। स्थाई रूप से चल रहे रास्ते में गांव वालों का सार्वजनिक सुखाधिकार प्राप्त हो चुका हैं। इन परिस्थितियों उपरोक्त रास्ते को न्यायालय द्वारा बंद नही किया जा सकता है। पूर्व से जो रास्ता चलयमान है। उसी पर सरकारी आदेश अनुसार मेन्टीनस कार्य किया जा रहा हैं। ऐसी स्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानूनी रूप से उचित प्रतीत नही होता हैं। तथा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नही होना पाया जाता हैं इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपुर्णीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहे, इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक. 08.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुखराज कांसोटिया)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सत्यमेव जयते